

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :- 68/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/108

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.कानाराम पुत्र मुकनाराम		1.अचलाराम पुत्र रायमलराम
2.भूराराम पुत्र मुकनाराम		2.उम्मेदाराम पुत्र रायमलराम
जाति जाट		3.उमाराम पुत्र मोटाराम
निवासी दूधवा		4.चुनीदेवी पत्नी रायमलराम
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		5.देराजराम पुत्र नारायणराम
		6.नाथाराम पुत्र नारायणराम
		7.पोकरराम पुत्र पुनमाराम
		8.बाबूराम पुत्र रायमलराम
		9.नेमाराम पुत्र सुरताराम
		जाति मेगवाल निवासी बड़ला वाया
		दूधवा तहसील पचपदरा
		10.कानाराम पुत्र मोहनराम
		11.तीजोदेवी पत्नी मोहनराम जाति भील
		12.कानाराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट
		13.नाजीदेवी पत्नी पदमाराम जाति जाट
		14.भैराराम पुत्र जेठाराम जाति जाट
		निवासी दूधवा तहसील पचपदरा
		15.ओमप्रकाश पुत्र जोगाराम
		जाति सोनार
		16.धमाराम पुत्र जोगाराम जाति सोनार
		17.लाली पत्नी जोगाराम जाति सोनार
		निवासी रूपादेवी दूधवा
		18.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
		पचपदरा



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

- 1.भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 12.7.2024


1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम दूधवा पटवार हल्का दूधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 427/252 क्षेत्रफल 7.6405 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढा विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम दूधवा पटवार हल्का दूधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 427/252 क्षेत्रफल 7.6405 हैक्टर भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम दूधवा पटवार हल्का दूधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 427/252 क्षेत्रफल 7.6405 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढा विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है,प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहा है। अन्तः में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम दूधवा पटवार हल्का दूधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 427/252 क्षेत्रफल 7.6405 हैक्टर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के




उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम दूधवा पटवार हल्का दूधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 427/252 क्षेत्रफल 7.6405 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण की सह-खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्ड सह-खातेदार है, और रिकार्ड सहखातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते हैं। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1. (परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 12.01.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है, ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलों को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।


5. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।


--:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम दूधवा पटवार हल्का दूधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 427/252 क्षेत्रफल 7.6405 हैक्टर भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो, तो पालना रिपोर्ट पेश



आदेश आज दिनांक 12.7.2024 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।


(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा


उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा